



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032023-244162
CG-DL-E-06032023-244162

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1006]
No. 1006]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2023/फाल्गुन 15, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2023/PHALGUNA 15, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2023

का.आ. 1047(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 15 की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) तथा धारा 16 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2), धारा 17 तथा धारा 25 की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 14 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के परामर्श से, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण शिल्पकृति की हॉलमार्किंग आदेश, 2020 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्: -

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण शिल्पकृति की हॉलमार्किंग (संशोधन) आदेश, 2023 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण शिल्पकृति की हॉलमार्किंग आदेश, 2020 में, खंड 2 के, उप-खंड (2) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(2क) कोई भी व्यक्ति 31 मार्च, 2023 के पश्चात् किसी स्वर्ण आभूषण या स्वर्ण शिल्पकृति की बिक्री या प्रदर्शन या बिक्री का प्रस्ताव नहीं करेगा, जब तक कि ये वस्तुएँ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 15 जुलाई, 2021 में

प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक संदर्भ –एचक्यू-पीयूबी 014/1/2020-पीयूबी-बीआईएस (191) तारीख 7 जुलाई, 2021 द्वारा यथा संशोधित आईएस 1417:2016 में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार हॉलमार्क न की गई हों।

[फा. सं. 6/1/2017-बीआईएस (भाग 2)]

निधि खरे, अपर सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 205 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात्, संख्यांक का.आ. 3513 (अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2020, का.आ. 2102 (अ), तारीख 1 जून, 2021, का.आ. 2481 (अ), तारीख 23 जून, 2021 तथा का.आ. 1594 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 3rd March, 2023

S.O. 1047(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 14 read with sub-sections (2) and (3) of section 15, sub-sections (1) and (2) of section 16, section 17 and sub-section (2) and (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, further to amend the Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts Order, 2020, namely:-

1. (1) This Order may be called the Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts (Amendment) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts Order, 2020, in clause 2, after sub-clause (2), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

(2A) No person shall, after 31st March, 2023, sell or display or offer to sell any Gold jewellery or Gold Artefacts unless it is hallmarked in accordance with the standards specified in IS 1417:2016 as amended by notification number Ref: HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (191), dated the 7th July, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 15th July, 2021.

[F. No. 6/1/2017-BIS (Part 2)]

NIDHI KHARE, Addl. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 205 (E), dated the 15th January, 2020 and subsequently amended *vide* number S.O. 3513 (E), dated the 9th October, 2020, S.O. 2102 (E), dated the 1st June, 2021, S.O. 2481 (E), dated the 23rd June, 2021 and S.O. 1594 (E), dated the 4th April, 2022.